संख्या-09/2021/121/12-5-2021-ब-4/2020

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 16 फरवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03- कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शिनियां योजना हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रसार /1673/कृ०प्र०प्रा० /2020-21, दिनांक 19.01.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03- कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शिनियां के मानक मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में रू० 2.00 लाख एवं 49- चिकित्सा व्यय रू० 30.00 लाख अर्थात कुल रू० 32.00 लाख (रू० बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03- कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शिनियां के मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 03- कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शिनियां के मानक मद मद 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय एवं 49- चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय एवं निविदा संबंधी शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 09/2021/121(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी(एच0 09 (भाग–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/उपीकृति

(सदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व नीचे दिये अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

प्रपत्र बी(एच0 -09

वित्तीय वर्ष 2020 2021

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित मिदों से प्रस्तावित परिवर्तन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (16 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र भरने के दिनांक एवं वर्तमान अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र भरने के दिनांक एवं उपलब्ध शेष	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात् कुल अनुदान/विनियोग (3–5)
1	3	3	4	5	6
2401 00 109 03 00 2401 फसल कृषि कार्य, 109–विस्तार एवं किसानों का प्रशिक्षण, 03–कृषि प्रसार प्रायोजनाएं एवं प्रदर्शनियां					
01–वेतन	33326.32	173.81	173.81	32.00	33294.32
योग	33326.32	173.81	173.81	32.00	33294.32

निम्नलिखित मिदों में प्रस्तावित परिवर्तन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (16 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में अभारित में कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (4–3)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकलन की धनराशि	संकलन के पश्चात् कुल अनुदान/विनियोग (8–11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 109 03 00 2401–फसल कृषि कार्य, 109–विस्तार एवं किसानों का प्रशिक्षण, 03 कृषि प्रसार प्रायोजना एवं प्रदर्शनियां					
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	7.75	5.75	2.00	4.00
73–विशेषज्ञ व्यय	200.00	368.06	168.06	30.00	230.00
योग	202.00	375.81	173.81	32.00	234.00

(रू0 एक करोड़ सित्तर लाख इकासी हजार मात्र)

1–स्तम्भ–2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 4 में अंकित धनराशि निम्नलिखित कारणों से है.–(अ० खर्च के लिये अपेक्षित)

(1) अद्यतन व्यय के आधार पर संशोधन हेतु।

2–स्तम्भ 8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–10 में अंकित व्यवस्थापित्य निम्नलिखित कारणों से है:

(2) बचत नहीं में प्रयोजन धन की व्यवस्था न होने के कारण.

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 150 व 157 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः अनुभाग–3442 / 1–एस–2020, दिनांकः 08/02/2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयाग,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (वित्त)
उत्तर प्रदेश शासन

(पूर्णिमा जैदा श्रीवास्तव)
अनु सचिव
वित्त विभाग

(नितेश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– /12–5–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (व्यय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय–नियत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।